

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 1090] No. 1090] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 2018/फाल्गुन 29, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 2018/PHALGUNA 29, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2018

का.आ. 1217(अ).—यतः, मै. काकीनाड़ा एसईजेड लिमिटेड (पूर्व में मै. काकीनाड़ा एसईजेड प्राईवेट लिमिटेड), ने आंध्र प्रदेश राज्य के पोन्नदा, मुलापेटा, रामनंक्कापेटा, काकीनाड़ा गाँव, पूर्व गोदावरी जिले में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त आधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याआ का.आ. 342 (अ) दिनांक 06 फरवरी, 2013 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 1013.64 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यत;, मैं. काकीनाड़ा एसईजेड लिमिटेड ने उपरोक्त स्थान पर स्थित केएसईजेड-1 एवं केएसईजेड-2 के 2049.3088 हेक्टेयर क्षेत्र को क्लब करने का प्रस्ताव किया था और केन्द्र सरकार ने दिनांक 13.01.2016 को स्वीकृत पत्र प्रदान कर दिया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त आधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याआ का.आ. 2177 (अ) दिनांक 5 जुलाई, 2017 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 121.43 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित कर दिया था;

और यत;, मैं. काकीनाड़ा एसईजेड लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 48.5715 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनिधसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यत;, आंध्र प्रदेश सरकार ने उनके दिनांक 23.11.2017 के पत्र सं. 7549/इन्फ्रा/ए3/2017 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है:

और यत;, विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 48.5715 हेक्टेयर क्षेत्र को अनिधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

1594 GI/2018 (1)

और यत:, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संम्बधित अपेक्षाओं को पुरा कर लिया गया है:

अत:, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्व्यारा 48.5715 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग में से अनिधस्चित करती है, जिसके परिमाणत: कुल क्षेत्र 1879.3073 हेक्टेयर हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

तालिका

क्र.स.	सर्वेक्षण संख्या	गाँव का नाम	प्रस्तावित अनधिसूचित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	205	पोन्नदा	4.8644
2.	208	पोन्नदा	18.4824
3.	209/1	पोन्नदा	10.0526
4.	210/1	पोन्नदा	0.0285
5.	210/2	पोन्नदा	0.7163
6.	210/4	पोन्नदा	4.4152
7.	356/3	पोन्नदा	0.0445
8.	357	पोन्नदा	5.7871
9.	209/पी	पोन्नदा	2.4848
10.	41/1ए	मुलापेटा	0.0650
11.	41/1सी	मुलापेटा	1.0036
12.	41/1डी	मुलापेटा	0.4371
13.	41/4ए	मुलापेटा	0.0250
14.	41/1बी1	मुलापेटा	0.1400
15.	41/4सी	मुलापेटा	0.0250
16.		कुल	48.5715
17.		उपर्युक्त घटाव के बाद एसईजेड का कुल क्षेत्रफल	1879.3073

[फा. सं. एफ.1/17/20011-एस.ई.जेड]

सुनील कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2018

S.O. 1217(E).—Whereas, M/s. Kakinada SEZ Limited (formerly M/s. Kakinada SEZ Private Limited), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Multi Product Special Economic Zone at Ponnada, Mulapeta, Ramanakkapeta Villages in Kakinada, East Godavari District, in the State of Andhra Pradesh;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 1013.64 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S. O. 342 (E) dated 06.02.2013;

AND, WHEREAS, M/s. Kakinada SEZ Limited ha proposed for clubbing of KSEZ-1 and KSEZ-II at above location over an area of 2049.3088 hectares and Central Government has granted letter of approval on13.01.2016;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had de-notified an area of 121.43 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2177(E) dated 05.07.2017;

AND, WHEREAS, M/s. Kakinada SEZ Limited has now proposed for de-notification of 48.5715 hectares at the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Andhra Pradesh has given its approval to the proposal vide letter No.7549/Infra/A3/2017, dated 23.11.2017;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 48.5715 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 48.5715 hectares**, thereby making resultant area as **1879.3073 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

S.No.	Survey No.	Name of Village	Proposed denotified area in hectares
1.	205	Ponnada	4.8644
2.	208	Ponnada	18.4824
3.	209/1	Ponnada	10.0526
4.	210/1	Ponnada	0.0285
5.	210/2	Ponnada	0.7163
6.	210/4	Ponnada	4.4152
7.	356/3	Ponnada	0.0445
8.	357	Ponnada	5.7871
9.	209/P	Ponnada	2.4848
10.	41/1A	Mulapeta	0.0650
11.	41/1C	Mulapeta	1.0036
12.	41/1D	Mulapeta	0.4371
13.	41/4A	Mulapeta	0.0250
14.	41/1B1	Mulapeta	0.1400
15.	41/4C	Mulapeta	0.0250
16.		Total Area	48.5715
17.		Total remaining area of the SEZ after above deletion	1879.3073

[F. No. F.1/17/2011-SEZ] SUNIL KUMAR, Addl. Secy.